

के लिए समय तय करें

ऑस्ट्रेलिया पोस्ट ग्रुप (समूह) ने एक सिंडिकेटेड हॉटलाइन स्थापित की है, तालक कायबिब प्रलतभालियों को *जनलहत प्रकटीकरण अिललनयम 2013 (पीआईडी अिललनयम)*, *लिनम अिललनयम 2001 (रा.म.म.) (लिंगम अिललनयम)*, या *करांन प्रशासन अिललनयम 1953 (रा.म.म.) (करांन प्रशास अिललनयम)* के अनुसार िंों भीर प्रकृ लक्षअनैलतक, िंैर-कानूनी या िंित आचरण का प्रकटीकरण करने मसम बनाया जा सके ।

यिल आप एक वतयमान या पूवय कायबिब प्रलतभांी ह, तो आप इस प्रकार से प्रकटीकरण कर सकते/सकती ह:

- सूक्ष्कमयचारी;
- एपीजी को सामान या सेवाएँ िप्रान करने वांा अनुबोिक (वैतलनक या अवैतलनक);
- समूह को सामान या सेवाएँ िप्रान करने वांे अनुबोिक का कमयचारी या उप-अनुबोिक;
- समूहके िंाइस-स-प्रा पो ऑलस का िंाइससी;
- समूहके िंाइस-स-प्रा पो ऑलस का कमयचारी;
- समूह का अिलकारी या सहकमी; अथवा
- उपरो म से लकसी भी का सोंबोिी या पररजन;

और

- आपकी लचोता लकसी ग्राहक की लशकायत से सोंबोिलत नहीों है;
- आपकी लचोता कायय से सोंबोिलत लकसी लनजी मािमे से जुडी नहीों है;
- आपके पास समूहके अों िंर या समूह से जुड़े लकसी िंारा िंों भीर प्रकृ लक्षअनैलतक, िंैर-कानूनी या िंित आचरण लकए जाने का सोंिंे ह करनक िलए उलचत िआर ह।

ग्राहको की लशकायत

जो ग्राहक लशकायत जमा करना चाहते ह या लज समूह की सेवाओंक बारे मलचोताएँ ह, उ डाक, ईमेिं, 13 76 78 पर िंोनेके मा.म से अथवा ऑनलाइन <https://auspost.com.au/about-us/corporate-information/complaints-and-feedback#letter> पर ग्राहक सोंपकयक से सोंपकय करना चालहए।

सिंडिकेटेड हॉटलाइन मांिनोडों को पूरा नहीों करने वांी िंिलतलविलके प्रकारों मइन मांिमों से सोंबोिलत लशकायत शालिम ह:

- डाक या पासियों की लिडीवरी;
- ऑस्ट्रेलिया पोस्ट सुलिवा पर डाक या सेवा प्रा करना; अथवा
- ग्राहकों या सामा जनता िंारा िंेखा िंया ऑस्ट्रेलिया पोस्ट िंांिं का वहार, जैसे डराइलवोिं से सोंलितअपरांिंों की ररपोलिटिं।

समूह की प्राथलमकता यह है लक सभी ग्राहक लशकायतों को समलपयत ग्राहक सोंपकय टीम चैिंनों का उपयोिं करके जमा लकया जाए, लकों तु यिल कोई लशकायत सिंडिकेटेड हॉटलाइन मा.म से की जाती है, तो काययवाहीके िलए लशकायत को सोंबोिलत टीमकेपास भेजा सोंचार कैकजािं।

काम से जुड़े िलजी मािमे

बारे म लचोताएँ:

- समूहके साथ लकसी के वतयमान या पूवय रोजार से सोबोलित मािमा;
- लकसी-लवशेषके साथ त प से सोबोलित अनुलचत वहार, जैसे भिंभाव, उीइन या िमकाना (सक लक ऐसे कायय प्रकटीकरण करनक प्रलतशोिके प म न हौ); अथवा
- िु राचारके ऐसे अ मािमे, जो िों भीर और प्रणािीित नहीों है, अथवा समूहके िलिए लजनके ापक आशय नहीों ह,

उनके बारे मररपोलिटिंि प्रासोिलक नीलतके तहत की जानी चालहए, लजसके तहत इनका प्रबोिन अिलक उपयु प से लकया जा सकता है।

िलिए एचडीबी

होिटाइन से HDBMatters@auspost.com.au पर सौपकय कर या 1300 116 947 पर कॉिं कर;

कायय से सोबोलित अ के त मािमो को अपने मानव सोसाििन प्रलतलनिल या जन अग्रणीक प्रलत सोिलभयत कर।

लचोताओकं बारे मािमे प्रा होते ह, तो हम इके प्रबोिनके िलिए एपीजीके ओंिर प्रासोिलक समूह को सोिलभयत करे।

सोरिलत प्रकटीकरण ा ह ता है?

यिल कोई काययिब भािीिार, या लकसी अ एजसी का कोई सावयजलनक अिलकारी यथोलचत प से िों भीर प्रकृ लत की ििंती, िु राचार या अनुलचत स्थलते क मािमे या पररस्थलतयो का सोिंेह करता है, तो प्रकटीकरण को एक जनलहत प्रकटीकरण या िसोअर प्रकटीकरणके प म सोरलत लकया जा सकता है। इसम शालिम ह:

- इस प्रकार का आचरण या प्रथाँ, जो ऑेलिया या लिवेशके लकसी कानून, लवलनयमन या सोलहता का उोघन हो सकता है (जैसे चोरी, मािक-िपाथों की लबक्री या उपयोि, अपरािलक लत आिल);
- भ्र्ाचार या िोखाििंडी यु आचरण (जैसे िन का िु वलनयोजन, ररतखोरी, अनुलचत प्रभाव, झूठी या भ्रामक जानकारी आिल);
- ऑेलिया पोक सोसाििनो काकुप्रशासन या िों भीर प सक प्रबोिन या बबाियी (जैसे काययस्थ ारा डिप कराए

िोन का अिलक लनजी उपयोि, लनजी िलिए ईििन काडय का अनिलकृ त उपयोि, के त िाभके वाहनोिकं समूहकेसोसाििनो/जानकारी का िलिए उपयोि आिल);

- ा या सुरके िलिए पयाय खतरे वािा अथवा पयायवरण या जनताके िलिए अिलक खतरे वािा आचरण;
- मानवािलकार मानको का सोभालवत उोघन करने वािा आचरण;
- समूह को िों भीर प्रकृ लत का लवीय या िेर-लवीय नुकसान पहोचा सकने वािा आचरण, अथवा इसकी प्रलत ा और ाो ड को हालन पहोचा सकने वािा आचरण, या जो अथा लवीय प्रणािीके िलिए खतरा पैिा कर सकता है; अथवा
- हमारी नैलतकता का िों भीर उोघन।

िस अर प्रकटीकरणकेसे क?

यिल आप ऑेलिया पो समूहके वतयमान या भूतपूवय काययिब भािीिार ह या लकसी अ एजसी सावयजलनक अिलकारी ह और आप िों भीर प्रकृ लत की ििंती, िु राचार या अनुलचत स्थलतके मािमे या पररस्थलतयो का सोिंे ह होनक बारे म

ररपोटय करना

चाहते/चाहती ह, तो ँस अर हॉिटािइके माम से 1800 799 353 (ऑेिलया) या +61 3 8603 5364 (िलदेश)ए प्रकटीकरण जमा लकया जा सकता है ।

❖❖ इस❖❖ोअर हॉ❖❖िटाइन का प्रबो❖❖िन एक बाहरी िप्राता ❖❖ारा लकया जाता है, जो आपकी लचो❖❖ताओं को
ऑ❖❖ेिलिया पो❖❖ेस्ल्लिक् त अिलकारीके प्रलत लिनेलशत करे❖❖िा।

यिल आपका प्रकटीकरण लिनम अिललनयम (Corporations Act) या करांिन प्रशासन अिललनयम (Taxation Administration Act) कहत एक पीआईडी या प्रकटीकरण है (या ऐसा माना जाता है), तो हमारे बाहरी िप्राता द्वारा इसे प्राकृतिक लकए जाने पर इसका प्रबंिन प्रासंिलक िसोअर कानूनके अनुसार लकया जािण, जैसालक नीचे बताया िया है।

इसके लकएक िपम आप [ऑंिलिया पोस्ट्रुप िसोअर पोटिये](#) क मासे ऑंिलिया पोस्ट्रुप प्रािलकृत िसोअर संपकय कर सकते/सकती हं

आ जांिकारी शालिम करं

ऑंिलिया पोस्ट्रुप समूह को कायववाहिके िलए सबसे अंा मांिय लिनाररत करने मं सहायता लिम सके :

- अपना नाम और संपकय लववरण (इसकी िसाह िंी जाती है, िंे लकन िंु मनाम िप से प्रकटीकरण भी लकए जा सकते हं);
- िंत कायय की प्रकृत;
- उस िपम का लववरण, आपके लवचार मं लजसने िंत कायय लकया है (यिल यह िपम एक अनुबंिलत सेवा िप्राता है, तो िप्राता का लववरण और स्थान);
- िंत कायय कब और कहाँ हआ था;
- िंत काययके आस-पास कोई भी प्रासंिलक घटनाँ;
- कोई अं, जो आपकी जानकारी मं िंत कायय मं शालिम था;
- कोई अं, जो िंावों को संालपत कर सकता है;
- यिल आपने िंत कायय पर प्रलतलक्रया करते हएु कछ लकया है;
- यिल आप संभालवत प्रलतशोिके बारे मं लचलतत हं;
- कोई अं सहायक जानकारी (जैसे िंावेज, िंािड नोट्स)।

डिपं करई िंई जानकारी िप और तंाक होनी चालहए। अनुमानों, त आक्रमणों और भावुक भाषा का प्रयोंिनकेसगी कोलशश करं।

आपके प्रकटीकरणे क साथ िंहार

अिललनयम (PID Act)के तहत जनलहत प्रकटीकरण अथवा लिनम अिललनयम (Corporations Act) या करांिन प्रशासन अिललनयम (Taxation Administration Act)के तहत िसोअर प्रकटीकरणके िपम सौरलत लकया जा सकता है।

आपके प्रकटीकरण को अंेषक को संपे जानक लकसी भी लनणययके बारे मं आपको सूलचत लकया जािण और आपको यह तय करने का अवसर िलया जािण लकं आप अपनी पहचान िआे अंेषक को िलया जाना चाहते/चाहती हं। यिल आप अपनी पहचान अंेषक को नहीं िलया जाना चाहते/चाहती हं, तो इसकी वजह से आपकी लचौताओं की जांच करने की उनकी मता पर प्रभाव पड़ सकता है।

यिल प्रकटीकरण पीआईडी अिललनयम (PID Act)के तहत जनलहत प्रकटीकरण अथवा लिनम अिललनयम (Corporations Act) या करांिन प्रशासन अिललनयम (Taxation Administration Act)के तहत िसोअर प्रकटीकरण की आवकताओं को पूरा नहीं करता है, िंे लकन लकसी अं नीलतके तहत इसपर लवचार लकया जा सकता है, तो िसोअर टीम इस मांमे पर लवचार करने और

मािमे की िआि जॉच करनके िलए इसे उपयु◆ टीमके प्रलत सॉिलभयत करेिी (जहॉ उलचत हो)।

पीआईडी अिललियम (PID Act), िलगम अिललियम (Corporations Act) या करारिंानिं प्रशासि अिललियम (Taxation Administration Act)के तहत सौंरण

यिल आपके मांमे को पीआईडी अिललियम (PID Act)के तहत एक जनलहत प्रकटीकरण अथवा लिनम अिललियम (Corporations Act) या करारिंान प्रशासन अिललियम (Taxation Administration Act)के तहत एक ढिसोअर प्रकटीकरण मान िलया जाता है, तो आपके िलए लनिलखत अिलकार िंािंू होते हः

- आपके प्रकटीकरणके साथ िंोपनीय और सामलयक ढप से ढवहार लकया जािंए,
- आपको सौरलत प्रकटीकरण करनेके सौंबोिं म ढनारिक, अपरालिक और प्रशासनक िंालयलोों से प्रलतरण प्रा है।
- आपके पीआईडी क िआार पर आपको अपने लवढढ प्रवतयन या िंािंू लकए जा रहे सौंलिवक कार्यों से प्रलतरण प्रा है।
- आपको प्रकटीकरण करने या प्रकटीकरण करने का सौंे ह लकए जाने पर आपके लवढढ हालन या प्रलतशोिं से प्रलतरण प्रा है।

लकसी भी अेषण को अों लतम ढप िलए जानके बािं भी ये सुराँ और प्रलतरण िंािंू रहते हः।

लकों तु यिल आप जानबूझकर झूठी या भ्रामक जानकारी का प्रकटीकरण करते/करती हः, अथवा यिल आपके प्रकटीकरणके पररणाम ढप आपके खुिंके िंित कायय पहचान मआते हः, तो ढिसोअर कानून इनके पररणामों से आपकी रान्नीकरिंे।

आपकी लज्ेदाररयों

पीआईडी अिललियम (PID Act) , लिनम अिललियम (Corporations Act) या करारिंान प्रशासन अिललियम (Taxation िलए लनिलखत लज्ेाररयों िंािंू

- जानबूझकर झूठी या भ्रामक जानकारी की सूचना न िंेे।
- अपने प्रकटीकरणके बारे म लवचारशीिं बने रहः और प्रलक्रयाके िं रान िंोपनीयता बनाए रखः।
- जौंचके िं रान आवकतानुसार उलचत सहायता िं्रान करः।
- यिल आपको अपने प्रकटीकरणके सौंबोिं मलकढीों समढाओं या सौंभालवत प्रलतशोिं का सामना करना पड़ रहा है, तो अपने सुपरवाइजर, प्रालिकृ त अिलकारी/योतापात्र प्राकताय या ढिसोअर टीम को सचेत करः।
- यिल आपको आवकता हो, तो समुलचत समथयन प्रा करः।
- यिल आपको आवकता हो, तो प्रलक्रया और अपने अिलकारों तथा लज्ेाररयोंके बारे म ढतौर कानूनी िसाह िंेे।

गुिमाम प्रकटीकरण

प्रकटीकरण करते समय आप अपनी पहचान का खुिंासा करने या िंु मनाम ढप से प्रकटीकरण करने का लवक ढसकते/सकती हः।

लकों तु िंु मनाम रहने छ पररस्थलतयों म िलए आपके प्रकटीकरण की जौंच कर पाना कलठन, या यहाँ तक ढेक ओढेलियाके

अढवहारक भी हो सकता है। कृपया इस बात का ढान भी रखः लक यिल आप िंु मनाम रहने का चयन करते/करती हः और सौंपकय का माढम िं्रान नहीें करते/करती हः, तो प्रलक्रयाके िं रान ओढेलिया पोके िलए आपके साथ सौंवािं कर पाना कलठन होिंा।

आगे की जांकारी

पीआईडी अिललनयम: [जनलहत प्रकटीकरण - रा मॉडि िोकपाि \(Commonwealth Ombudsman\)](#)

NACC Act: <https://www.nacc.gov.au/about-nacc/overview>

लिनम अिललनयम: <https://asic.gov.au/about-asic/asic-investigations-and-enforcement/whistleblowing/>

करािंान प्रशासन अिललनयम: <https://www.ato.gov.au/general/gen/whistleblowers/>